मु.न.–04 / 2021 GCMS ID-2021/12 ता.रजु–15.01.2021

(2)

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

नंदलाल व्यास आर.टी.आई. कार्यकर्ता, निवासी बसंत विहार, तीसरी 'ए' रोड, सरदारपुरा, जोधपुर (राज.) — अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली — प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–31.03.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 02.03.21, 09.03.21, 24.03.21, 31.03.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर जनवरी 13 से फरवरी 15 के दौरान करौली जिला कलक्टर पद पर कार्यरत व्यक्ति का नाम, पत्र क्रमांक पीए / डीएम / करौली / 2015 / 93 दिनांक 26.02.2015 को जारी करने से संबंधित पत्रावली, पत्र भिजवाये जाने का माध्यम, प्राप्तकर्ता की पावती, डिस्पेच रजिस्टर की प्रति, पोस्टेज स्टाम्प्स की प्रति आदि बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। उक्त सूचना आंशिक रूप से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2021 / 147 दिनांक 26.02.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 642 दिनांक 09.11.2020 द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है एवं अपीलार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 1 की संशोधित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक–सू.अ.अ. / 2021 / 146 दिनांक 26.02.2021 द्वारा पुनः प्रेषित की जा चुकी है। जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या 1,2,5,6 की सूचना प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है एवं बिन्दु संख्या 3, 4 के विनिश्चय से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है। अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ है और ना ही अन्यथा कोई प्रतिकार अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया है जिससे यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली